2019/00376

अपीलीय अधिकरण एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जगरूप सिह यादव आई.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 12/2019 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

श्रीमती जमना देवी पत्नी श्री सुवालाल जाति जाट, निवासी ग्राम निमेडा, तहसील व जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. भंवर लाल पुत्र श्री सुवालाल जाति जाट, निवासी ग्राम निमेडा, तहसील व जिला जयपुर।
2. मन्ना लाल पुत्र श्री सुवालाल जाति जाट, निवासी ग्राम निमेडा, तहसील व जिला जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 29.07.2019 न्यायालय अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 06/2017 ब उनवानी श्रीमती जमना देवी बनाम मन्नालाल व अन्य ।

(2) प्रकरण संख्या 21 /2019 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

श्री सुवालाल पुत्र स्व॰ श्री भोलू जाति जाट, निवासी ग्राम नन्दगांव पोस्ट धानक्या थाना बगरू तहसील व जिला जयपुर।

जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) जिला जयपुर (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

1. मन्ना लाल पुत्र श्री सुवालाल जाति जाट, निवासी ग्राम निमेडा, तहसील व जिला जयपुर।
2. भंवर लाल पुत्र श्री सुवालाल जाति जाट, निवासी ग्राम निमेडा, तहसील व जिला जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 29.07.2019 न्यायालय अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 30/2017 ब उनवानी सुवालाल बनाम मन्नालाल व अन्य ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी के प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 31.10.2019

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि एक अपील अपीलार्थिया श्रीमती जमना देवी ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 30/2017 ब उनवानी जमना देवी बनाम सुवालाल व अन्य आदेश दिनांक 29.07.2019 के विरूद्व पेश की है, जिसमें 3000/–रूपये प्रत्यर्थी मन्नालाल व 3000/–रूपये प्रत्यर्थी भंवर लाल द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अपीलार्थी श्रीमती जमना देवी को बतौर भरण पोषण दिये जाने के आदेश दिये गये है।

2. दूसरी अपील अपीलार्थी सुवालाल ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 30/2017 ब उनवानी सुवालाल बनाम मन्नालाल आदेश दिनांक 29.07.2019 के विरूद्व पेश की है, जिसमें 3000/–रूपये प्रत्यर्थी मन्नालाल व 3000/–रूपये प्रत्यर्थी भंवर लाल द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख [redacted] तक अपीलार्थी सुवालाल को बतौर भरण पोषण दिये जाने के आदेश दिये गये है।

3. अपीलार्थी श्रीमती जमना देवी व सुवालाल दोनों पति–पत्नी है। प्रत्यर्थी मन्नालाल एवं भवर लाल इनके पुत्र है। अपीलार्थी पति–पत्नी द्वारा पृथक पृथक परिवाद अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पेश किये गये है। जिन पर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पृथक प्रथक आदेश पारित किये जा कर निस्तारित किया गया है। अधिनस्थ अधिकरण के आदेशों के विरूद्व अपीलार्थी पति–पत्नी द्वारा पृथक पृथक अपील पेश की गई है। जबकि मामला एक ही परिवार के सदस्यों का होकर माता पिता के भरण पोषण से संबधित है। इसलिए दोनों अपीलों में एक ही निर्णय किया जाना न्यायोचित है। उभय पक्ष उपस्थित है।

4. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

5. अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय ने सुवालाल द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर आदेश दिनांक 29.07.2019 से सुवालाल को बतौर भरण पोषण राशि 3000/–रूपये मन्नालाल व 3000/–रूपये भंवर लाल द्वारा दिये जाने के आदेश दिये गये है। इसी प्रकार जमना देवी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर भी आदेश दिनांक 29.07.2019 से श्रीमती जमना देवी को बतौर भरण पोषण राशि 3000/–रूपये मन्नाल लाल व 3000/–रूपये भंवर लाल द्वारा दिये जाने के आदेश दिये गये है। इस प्रकार पति [redacted] सुवालाल व पत्नी जमना देवी को दोनों पुत्रों द्वारा कुल 12000/–रूपये दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। जबकि अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत भरण पोषण के लिए अधिकतम राशि 10,000/–रूपया तक दिये जाने का ही प्रावधान है। इसलिए भरण पोषण राशि को संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

6. अपीलार्थी श्रीमती जमना देवी को उसके पुत्र मन्नालाल द्वारा 5000/–रूपये प्रतिमाह एवं अपीलार्थी सुवालाल को उसके पुत्र भंवरलाल द्वारा 5000/–रूपये प्रतिमाह आदेश पारित तिथि से बतौर भरण पोषण राशि दिये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रत्यर्थी मन्नालाल व भंवर लाल को माता पिता से किसी प्रकार का लडाई झगडा, मारपीट व अभ्रद्र व्यवहार नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है।

7. आदेश की प्रति पत्रावली संख्या 12/2019 व 21/2019 पर पृथक पृथक रखी जावे एवं हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर